उत्तर प्रदेश सरकार (१४)

लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एंव विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-Chief (Dev.) &
Head of Department
उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ - 226001
UP PWD, Lucknow - 226001

96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 22600
96, Mahatama Gandhi Marg, Luckno
Office : 0522-2237315, 223547
Fax No. : 0522-223671
e-mail : pwdeinc@gmail.com

पत्रांक 176 क्रैम्प/मु0 अभि0(मुभ)/18

दिनांक 05/07/2018

कार्यालय–ज्ञाप

दिनांक 03.07.2018 को वीडियो कांफेन्सिंग के समय अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये थे कि शासन स्तर पर एक ई–मेल आई0डी0 बनायी जाये, जिससे कि तकनीकी बिड मूल्यांकन में 07 दिन से अधिक समय के लिए सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता शासन से अनुमति मांगें, एवं तीसरी बार निविदा स्थगित करने की अनुमति मांगने के लिए मुख्य अभियन्ता शासन को सूचित कर सके। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार ई–मेल आई0डी0 का गठन किया गया है :–

E-mail ID- acspwdtender@gmail.com

5/7/18
(वी0 के0 सिंह)
o/c प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0–1)/(रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।

5/7/18
o/c प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश सरकार (199)
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एंव विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-Chief (Dev.) &
Head of Department
उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ - 226001
UP PWD, Lucknow - 226001

96, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 22600
96, Mahatama Gandhi Marg, Lucknow
Office : 0522-2237315, 2235472
Fax No. : 0522-2236716
e-mail : pwdeinc@gmail.com

पत्रांक 178 कैम्प/मु0 अभि0 (मु0-1)/18

दिनांक 05/07/2018

कार्यालय–ज्ञाप

दिनांक 03.07.2018 को विभागीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन द्वारा निविदा प्राप्त होने के उपरान्त उसके तकनीकी मूल्यांकन (Technical Evaluation) में अत्यधिक समय लगने, अनुबन्ध गठन प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होने, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहे हैं, के सम्बन्ध में अत्यन्त रोष प्रकट किया है। स्वीकृत कार्यों की निविदाओं का निस्तारण करने के सम्बन्ध में निम्न आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1. कार्य की निविदा प्राप्त होने की तिथि से 5 दिन के अन्दर उसका तकनीकी मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करें। इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी अभिलेख की पुष्टि पत्र/मेल द्वारा समयान्तर्गत नहीं हो पाती है तो दूरभाष पर सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी से स्वयं अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता उसकी पुष्टि कर तकनीकी बिड मूल्यांकन की कार्यवाही पूर्ण करें।
2. यदि किन्हीं कारणों से बिड मूल्यांकन तकनीकी बिड प्राप्त होने के 5 दिन के अन्दर नहीं होता तो दो दिन का अतिरिक्त समय प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से इसकी लिखित अनुमति प्राप्त की जाये।
3. यदि 7 दिन के अन्दर किन्हीं कारणों से बिड मूल्यांकन नहीं हो पाता तो प्रमुख अभियन्ता के कैम्प कार्यालय में ई–मेल भेजकर इसके लिए अतिरिक्त तीन दिन के लिए अनुमति प्राप्त की जाये।
4. अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में यदि बिड मूल्यांकन की कार्यवाही 10 दिन में पूर्ण नहीं हो पाती तो शासन से इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए इस कार्य के लिए निर्धारित की जा रही ईमेल आई0डी0 पर सूचना भेजकर अनुमति प्राप्त की जाये।
   E-mail ID- acspwdtender@gmail.com

   मुख्यालय पर इसकी सघन समीक्षा की जायेगी। अतः प्रत्येक खण्ड से इसकी साप्ताहिक सूचना प्राप्त कर संकलित कर प्रत्येक सोमवार को प्रमुख अभियन्ता कैम्प कार्यालय में ई–मेल पर संलग्न प्रपत्र निविदा–1 पर उपलब्ध करायेगें।
5. तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त क्रमांक–4 के अनुसार वित्तीय बिड खोली जाये एवं तीन दिन के अन्दर स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) निर्गत किया जाये।

6. यदि अपरिहार्य कारणों से किसी निविदा को स्थगित करना आवश्यक हो तो **प्रथम बार** स्थगित करने के लिए इसकी अनुमति मुख्य अभियन्ता प्राप्त की जाये। यदि पुनः अपरिहार्य कारणों से निविदा **दूसरी बार** स्थगित करने की आवश्यकता हो तो इसकी अनुमति प्रमुख अभियन्ता कैम्प कार्यालय को ई–मेल कर प्राप्त की जाये। यदि अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से **तीसरी बार** निविदा को स्थगित करने की आवश्यकता हो तो शासन को निर्धारित ई–मेल आई0डी0 पर सूचना भेजकर अनुमति प्राप्त की जाये। ई–मेल आई0डी0 की सूचना अलग से प्रेषित की जा रही है।

7. शासनादेश निर्गत होने के 03 दिन के उपरान्त कार्य की निविदा आमंत्रित कर ली जाय।

8. शासन द्वारा निर्गत आवंटन 05 दिन के अन्दर मुख्यालय से निर्गत कर खण्डों को भेज दिया जाये। निवर्तन में स्वीकृत कार्यों का आवंटन **तीन दिन** के अन्दर मुख्यालय से खण्डों को प्रेषित कर दिया जाये। दोनों ही प्रकरणों में शत–प्रतिशत साख–सीमा वित्त विभाग के शासनादेशों के क्रम में वित्त नियंत्रक द्वारा निर्गत की जायेगी। साख–सीमा निर्गत करते समय त्रैमास में फान्ट को बजट प्राविधान के अनुसार किया जाये न कि अलग–अलग की कार्य की लागत के अनुसार।

9. बजट से अवमुक्त धनराशि को जुलाई माह के अन्त तक व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

10. हुडको में स्वीकृत धनराशि में आहरित धनराशि के विरूद्ध अवशेष धनराशि या खण्ड को निर्गत धनराशि से मुख्यालय में प्राप्त समर्पित धनराशि के पुनरीक्षित प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त सभी आदेशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न की जाये।

4/7/18

(वी0 के0 सिंह)
O/C **प्रमुख अभियन्ता (विकास)**
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
2. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परि0/नि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0–1/सेतु)/भवन/रा0मा0/इ0ए0पी0/पी0एम0जी0एस0वाई0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (परियोजना/नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधि0 अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 (ई–मेल द्वारा)।

संलग्नकः प्रपत्र निविदा–1

4/7/18

O/C **प्रमुख अभियन्ता (विकास)**
विभागाध्यक्ष

<u>प्रपत्र निविदा–1</u>

खण्डों में प्राप्त निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	निविदा प्राप्त करने की तिथि	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	यदि वित्तीय बिड नहीं खोली गयी है		
						तकनीकी बिड खोलने के 5 दिन के उपरान्त 2 दिन के अतिरिक्त समय हेतु मुख्य अभियंता से सहमति प्राप्त की गयी (हाँ/नहीं)	तकनीकी बिड खोलने के 7 दिन के उपरान्त प्रमुख अभियंता से अनुमति प्राप्त की गयी (हाँ/नहीं)	तकनीकी बिड खोलने व 7 दिन के उपरान्त शासन से ईमेल भेज क अनुमति प्राप्त की गयी (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9